Private Infrastructure
Development Group

HSES
सुरक्षा नियम

जीवन परिवर्तन
– जीवन संरक्षण

हमारी परियोजना के कर्मियों और मेज़बान समुदायों के मानवाधिकारों का सम्मान करना

परिचय

HSES सुरक्षा नियम, 10 नियमों का एक समूह हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि हमारी सभी परियोजनाओं में सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू हों और कर्मियों के मौलिक अधिकारों व कुशलक्षेम का संरक्षण हो और कर्मी-समुदाय इंटरफ़ेस का संरक्षण हो, विशेष रूप से हमारी परियोजनाओं और आपूर्ति शृंखला में सामने आने वाली लिंगाधारित हिंसा व उत्पीड़न (जेंडर बेस्ड वॉयलेंस एंड हैरेसमेंट, GBVH), आधुनिक दासता और बाल श्रम की घटनाओं के संबंध में।

इन नियमों को हमारी परियोजनाओं के भीतर मानवाधिकार संबंधी जोख़िमों की गंभीरता घटाने वाले तंत्र व नियंत्रण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये नियम संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ये नियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहां ऐसे मौलिक नियंत्रण और न्यूनीकरण के उपाय लागू हों जो जोख़िम को न्यूनतम कर सकें, एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान कर सकें, कर्मियों के अधिकारों व कुशलक्षेम का संरक्षण कर सकें, और कर्मियों व समुदायों के बीच एक सुरक्षित और सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। ये नियम PIDG जीवन रक्षक नियमों के पूरक हैं जिन्हें हमारी परियोजना के कर्मियों के स्वास्थ्य व सलामती के संरक्षण के लिए बनाया गया था।

ये सभी नियम, हमारी संपूर्ण PIDG स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (हेल्थ, सेफ़्टी, एन्वायरन्मेंट एंड सोशल मैनेजमेंट सिस्टम, HSES MS) और मान्यता प्राप्त उत्तम अंतरराष्ट्रीय उद्योग परिपाटी (गुड इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्रेक्टिस, GIIP) में पहले से परिभाषित आवश्यकताओं से व्युत्पन्न किए गए हैं, पर वे हमारे पूरे परियोजना पोर्टफ़ोलियो में इन अत्यावश्यक सुरक्षा आवश्यकताओं पर केंद्रित रूप से बल देने और उनकी जागरुकता उत्पन्न करने पर लक्षित हैं। इन नियमों को अकेले लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि, इन्हें हमारे पूरे PIDG ग्रुप और हमारी परियोजनाओं में लागू किए जा रहे HSES अभिशासन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

PIDG HSES अभिशासन की शुरुआत हमारी HSES नीतियों से होती है। सुरक्षा संबंधी जोख़िमों का आकलन हमारी उचित पड़ताल प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाता है और इस प्रक्रिया को हमारे उचित पड़ताल दिशानिर्देशों और जांचसूचियों में विस्तार से बताया गया है। इसके बाद, इन जोख़िमों का प्रबंधन सुरक्षा नियमों के इस

सेट के माध्यम से और हमारे PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक, PIDG लैंगिक समानता मानक, PIDG हितधारक संलग्नता मानक और PIDG शिकायत तंत्र मानक में, तथा इन मानकों की अनुरूपता में रचित हमारी परियोजनाओं की HSES प्रक्रियाओं में और अधिक विस्तार से किया जाता है।

ये नियम, IFC प्रदर्शन मानकों[1] के अनुरूप हैं। ये नियम ETI आधार संहिता[2] की आवश्यकताओं से प्राप्त जानकारी का भी उपयोग करते हैं और GBVH[3],[4], आधुनिक दासता[5], बाल श्रम[6] और कर्मी आवास व्यवस्था[7] के सर्वोत्तम परिपाटी मार्गदर्शन पर आधारित हैं।

ये सुरक्षा नियम मुख्य रूप से श्रम प्रबंधन प्रक्रियाओं से संबंध रखते हैं। सुरक्षा संबंधी जोख़िम अन्य परियोजना-समुदाय व्यवहारों में भी उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में, समुदाय को सेवाएं एवं लाभ प्रदान करने के कृत्य के माध्यम से, और परियोजना द्वारा स्थानीय समाज में लाए जाने वाले व्यापक बदलावों के माध्यम से। इसलिए हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमारी परियोजनाओं का जोख़िम आकलन करें और यह कि इन नियमों का कार्यान्वयन, हमारे जोख़िम न्यूनीकरण का एक अत्यावश्यक भाग हो, पर हमारा जोख़िम न्यूनीकरण केवल इन्हीं तक सीमित न हो। इन दोनों को ध्यान में रखकर हम हमारी परियोजनाओं की सफलतापूर्वक सुरक्षा कर सकते हैं।

1. IFC, 2012. पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्थायित्व के प्रदर्शन मानक।
2. नैतिक व्यापार पहल (ETI) (2018) आधार संहिता।
3. विश्व बैंक, 2018. उत्तम परिपाटी नोट। विशाल नागरिक कार्यों वाले निवेश परियोजना वित्तपोषण में लिंगाधारित हिंसा की रोकथाम करना।
4. IFC, EBRD एवं CDC. लिंगाधारित हिंसा और उत्पीड़न: निजी क्षेत्र के लिए एक उत्तम परिपाटी नोट (आगामी)।
5. IFC, CDC, EBRD एवं DFID (2018). आधुनिक दासता से जुड़े जोख़िम का प्रबंधन करना: निजी क्षेत्र के लिए एक उत्तम परिपाटी नोट।
6. EBRD (2017). प्रदर्शन आवश्यकता 2 - श्रम एवं कार्य स्थितियां: बच्चे, युवा लोग एवं कार्य - मार्गदर्शन नोट।
7. EBRD/IFC (2009) कर्मियों की आवास व्यवस्था: प्रक्रियाएं एवं मानक – मार्गदर्शन नोट।
8. सुरक्षा व मानवाधिकारों के स्वैच्छिक सिद्धांत।

HSES सुरक्षा नियम

ज़िम्मेदार निवेश के लिए मज़बूत स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण व सामाजिक (HSES) अभिशासन की आवश्यकता होती है। PIDG में, हम मानते हैं कि हमारी मान्यताओं की पूर्ति करने के लिए, और ज़िम्मेदार निवेश, जिसमें हम भरोसा करते हैं, देने में सक्षम होने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि मज़बूत HSES अभिशासन हमारी सभी कंपनियों को चलाता हो और वह हमारे सभी संचालनों के केंद्र में हो।

PIDG यह मानती है कि सभी परियोजनाओं में मज़बूत कर्मी-प्रबंधन संबंध होना, अच्छी कार्य स्थितियां होना और कर्मियों का कुशलक्षेम सुनिश्चित करना, कंपनी की सफलता और उसके स्थायित्व की कुंजी होती हैं। रचनात्मक संबंध मूर्त व्यावसायिक लाभों की रचना करता है और जहां का कार्यबल स्थानीय समुदायों से हो वहां, समुदाय से संबंधों को बेहतर बनाता है और परियोजना के संचालन के सामाजिक लाइसेंस को और मज़बूती देता है।

हम ऐसे संबंध को रचनात्मक संबंध मानते हैं जो हर कर्मी के अधिकारों, गरिमा और कुशलक्षेम को सम्मान देता है।

- हम हमारी सभी HSES प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता तथा शून्य-भेदभाव के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- हम लिंगाधारित हिंसा व उत्पीड़न (GBVH) के किसी भी रूप को सहन नहीं करेंगे;
- हम कार्यबल, ठेकेदारों और प्राथमिक आपूर्ति शृंखला में आधुनिक दासता तथा बाल श्रम के जोख़िम को घटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सभी कर्मी हमारी अपेक्षाओं और उनके अधिकारों, दोनों को समझते हों; और
- हम सुरक्षा संबंधी समस्त चिंताओं में सहयोग के लिए रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करेंगे।

यह हमारी सुरक्षा नीति में प्रतिष्ठापित है और इन HSES 10 सुरक्षा नियमों में वर्णित है।

01 मानव संसाधन नीतियां

02 परियोजना सुरक्षा आचार संहिता

03 भर्ती योजना

04 रोज़गार के नियम व शर्तें

05 प्रशिक्षण व संचार

06 कार्य परिवेश

07 संघ बनाने की स्वतंत्रता

08 सुरक्षा प्रबंधन

09 समुदाय से व्यवहार और हितधारक संलग्नता

10 शिकायत तंत्र

हमारी परियोजना कंपनियों द्वारा अपने कर्मियों की भर्ती व उनका प्रबंधन करने और अपने ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को प्राप्त करने का तरीका यह स्थापित करता है कि वे किस प्रकार इन लोगों के अधिकारों और कुशलक्षेम का प्रबंधन करती हैं।

ऐसी HSES प्रक्रियाएं हैं जो समस्त परियोजनाओं में आवश्यक हैं, चाहे उनका प्रकार, आकार या स्थान कुछ भी हो; ये प्रक्रियाएं कर्मियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अत्यावश्यक हैं, और ये प्रक्रियाएं GBVH, आधुनिक दासता और बाल श्रम की घटनाओं का जोख़िम घटा सकती हैं। इसलिए इन प्रक्रियाओं को सुरक्षा नियमों के एक ऐसे सेट के रूप में स्थापित किया गया है जिसे हर परियोजना में सारे समय लागू रखना आवश्यक है।

सुरक्षा नियम निम्नलिखित पर लागू हैं:

- PIDG के सभी लोग;
- PIDG की सभी कंपनियां; और
- PIDG की सभी परियोजनाएं[1]

इन HSES प्रक्रियाओं की जटिलता और उनका दायरा, परियोजना विशेष के उन जोख़िमों द्वारा तय होता है जिनका विवरण PIDG HSES मानकों में प्रदान किया जाता है। उनका कार्यान्वयन, उनकी निगरानी और रिपोर्टिंग, PIDG, कंपनी या परियोजना के HSES MS के भाग के रूप में की जाएगी।

सभी मामलों में, हमारी परियोजना के कर्मियों का, और वे जिन समुदायों से व्यवहार करते हैं उनका कुशलक्षेम सर्वोपरि है। GBVH, आधुनिक दासता या बाल श्रम के संदिग्ध या वास्तविक मानवाधिकार उल्लंघन को PIDG द्वारा एक गंभीर घटना माना जाएगा और उसे तत्काल HSES 004-001 PIDG घटना रिपोर्टिंग कार्यविधि के माध्यम से PIDG के भीतर के उपयुक्त प्रतिक्रिया तंत्र के पास भेजा जाएगा।

सुरक्षा, हमारे निवेशों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने का एक अभिन्न अंग है। PIDG में, हम जीवन में बेहतरी के लिए बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए हमें 'जीवन संरक्षण' करना होगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि हमारे सारे पोर्टफ़ोलियो में लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।

1 जिसमें PIDG और उसकी कंपनियां, सलाहकार और ठेकेदार सहित निवेशक/ऋणदाता हैं।

मूल आवश्यकताएं

ऐसी मूल आवश्यकताएं हैं जिन्हें, सुरक्षा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लागू किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना कर्मियों से लेकर वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के स्तर तक के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व की विविधता के साथ एक सकारात्मक और समावेशी संगठनात्मक संरचना को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सभी परियोजनाओं के लिए सुरक्षा के विषय पर उपयुक्त स्तर का नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक है। प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर में एक ऐसा पहचाना गया केंद्र बिंदु होना चाहिए जिस पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हो और जिसे कंपनी के भीतर उपयुक्त संख्या में समर्थकों का सहयोग प्राप्त हो।
- केंद्र बिंदु पर यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि इन सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना में मज़बूत प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हों, इसमें इन नियमों का प्रशिक्षण और सतत निगरानी व समीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- केंद्र बिंदु को एक ऐसी कार्यस्थलीय संस्कृति का विकास करने का प्रयास करना चाहिए जहां कर्मी अपने अधिकारों को जानते हों और उनकी जो भी चिंताएं हों वे उन्हें जाहिर करने में सहज महसूस करते हों व ऐसा करने में उन्हें सहयोग दिया जाता हो।
- सभी परियोजनाओं को प्रबंधन और कर्मियों के बीच संचार और संलग्नता के स्पष्ट मार्ग स्थापित करने चाहिए, इसमें एक-दूसरे को जानने के लिए प्रेरित किया जाना शामिल है।
- कर्मियों और समुदायों द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताओं की सूचना दिए जाने के लिए सुरक्षित और गोपनीय शिकायत तंत्र लागू होने चाहिए।
- सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन और उनकी निगरानी, HSES MS के भाग के रूप में की जाएगी।
- कर्मियों को सुरक्षा नियमों को समझने और उनका अनुपालन करने के संबंध में एक-दूसरे से बात करने के लिए, और जो भी प्रश्न हों उनके साथ लाइन प्रबंधकों से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

01 मानव संसाधन नीतियां

उत्तम श्रम प्रबंधन परिपाटियों के लिए, लैंगिक समानता और शून्य-भेदभाव के लिए, तथा GBVH, आधुनिक दासता और बाल श्रम की रोकथाम के लिए परियोजना कंपनी की प्रतिबद्धता को परिभाषित करने वाली स्पष्ट नीतियां मौजूद हैं।

आवश्यकता

कर्मियों के साथ संचार करने के लिए और पूरी कंपनी में कर्मियों के प्रबंधन की एक समान पद्धति स्थापित करने के लिए मानव संसाधन नीतियां लागू होनी चाहिए। नीतियां, कार्यबल द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा(ओं) में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए और कार्य के समस्त स्थानों पर चस्पा होनी चाहिए।

नीतियों में निम्नलिखित की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए:

- समानता और शून्य-भेदभाव
- GBVH के प्रति शून्य सहनशीलता
- आधुनिक दासता और बाल श्रम के जोख़िम घटाना।

नीतियों में निम्नलिखित की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए:

- एक भर्ती योजना
- कर्मियों के रोज़गार के नियम और शर्तें
- पदोन्नतियों के लिए स्पष्ट, निष्पक्ष और योग्यता-आधारित मानदंड, तथा बोनस व पुरस्कार योजनाएं, और निर्णयों को कम-से-कम दो लोगों द्वारा अधिकृत किया जाए
- कार्यस्थल (और जहां लागू हो वहां आवास व्यवस्था तथा यात्रा) की योजनाएं जिनमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, लिंग और कर्मी कल्याण पर विचार किया गया हो और
- एक यौन उत्पीड़न नीति।

जहां विशिष्ट GBVH जोख़िमों की पहचान हुई हो वहां, एक स्वतंत्र GBVH नीति विकसित की जानी चाहिए।

समस्त परियोजना अनुबंध एवं प्राप्ति/खरीद प्रक्रियाओं में नीतियों का पालन एक आवश्यकता के रूप में शामिल होना चाहिए।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि नीतियां लागू हों, समर्थित हों और वर्तमान हों।

सुनिश्चित करें कि सभी प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कर्मियों को नीतियों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए और उन्हें एकसमान रूप से लागू किया जाए।

सुनिश्चित करें कि ठेकेदार और प्राथमिक आपूर्तिकर्ता नीतियों से अवगत हों।

सुनिश्चित करें कि सभी कार्यस्थलों पर नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो, और कर्मियों को सभी नीतियों का प्रशिक्षण मिले।

समस्त कर्मी

मानव संसाधन नीतियों को पढ़ें व समझें।

प्रवेशण और पुनरावृत्ति प्रशिक्षणों में रचनात्मक ढंग से भाग लें और आपके व दूसरों के संरक्षण के लिए नीतियों का सक्रिय ढंग से पालन व प्रयोग करें।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक, HSES 003-011 PIDG लैंगिक समानता मानक।

02 परियोजना सुरक्षा आचार संहिता

हर कर्मी, ठेकेदार और प्राथमिक आपूर्तिकर्ता उस व्यवहार से अवगत है जो परियोजना सुरक्षा आचार संहिता के अंतर्गत उससे अपेक्षित है और वह परियोजना सुरक्षा आचार संहिता के अतिक्रमण के प्रतिबंधों से भी अवगत है।

आवश्यकता

समस्त कर्मियों, ठेकेदारों और प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं[2] को, परियोजना सुरक्षा आचार संहिता को पढ़ने व उस पर हस्ताक्षर करने के द्वारा, कार्यस्थल पर और कार्य घंटों के बाहर उनसे अपेक्षित व्यवहार से पूरी तरह अवगत किया जाना चाहिए। यह सभी कार्यस्थलों पर, कार्य संबंधी आवास व्यवस्थाओं में या कार्य संबंधी यात्रा के दौरान, और किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी बैठकों, परामर्श, संचार या संलग्नता के दौरान की गतिविधियों को कवर करती है।

परियोजना सुरक्षा आचार संहिता में परियोजना कंपनी की निम्नलिखित की प्रतिबद्धताएं आवश्यक शर्त के रूप में वर्णित होनी चाहिए:

- समानता और शून्य-भेदभाव
- GBVH के प्रति शून्य सहनशीलता
- आधुनिक दासता और बाल श्रम के जोख़िम घटाना।

परियोजना सुरक्षा आचार संहिता में कर्मियों द्वारा कंपनी संहिता के किसी भी अतिक्रमण के फलस्वरूप लगने वाले उपयुक्त प्रतिबंधों की परिभाषाएं या संदर्भ शामिल होने चाहिए।

2 प्राथमिक आपूर्तिकर्ता वे आपूर्तिकर्ता हैं जो, निरंतर आधार पर, परियोजना की मूल व्यावसायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक वस्तुएं या सामग्री प्रदान करते हैं।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि आपने परियोजना सुरक्षा आचार संहिता पढ़ ली है, समझ ली है और उस पर हस्ताक्षर किया है।

सुनिश्चित करें कि आप आपसे अपेक्षित व्यवहार को समझते है। यदि आप परियोजना सुरक्षा आचार संहिता के किसी पहलू को लेकर संशय में हों, तो PIDG HSES से पूछें।

सुनिश्चित करें कि सभी कर्मियों (कर्मचारियों, ठेकेदारों और प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं) ने परियोजना सुरक्षा आचार संहिता को पढ़ लिया हो और उस पर हस्ताक्षर किए है।

समस्त कर्मी

सुनिश्चित करें कि आपने परियोजना सुरक्षा आचार संहिता पढ़ ली हो, समझ ली हो और उस पर हस्ताक्षर किया हो।

सुनिश्चित करें कि आप आपसे अपेक्षित व्यवहार को समझते हों। यदि आप परियोजना सुरक्षा आचार संहिता के किसी पहलू को लेकर संशय में हों, तो अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक से पूछें।

यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि शायद कोई व्यक्ति परियोजना सुरक्षा आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हो सकता है, तो इसकी चर्चा अपने लाइन प्रबंधक से करें, या फिर शिकायत तंत्र का उपयोग करके उसकी सूचना दें।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक, HSES 003-011 PIDG लैंगिक समानता मानक, HSES 005-007 PIDG परियोजना सुरक्षा आचार संहिता मार्गदर्शन।

03 भर्ती योजना

भर्ती योजना निष्पक्ष है, पारदर्शी है, एक योजना में दस्तावेज़ीकृत है और कर्मियों के लिए निःशुल्क है।

आवश्यकता

परियोजना भर्ती प्रक्रियाओं का भर्ती योजना में दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है। ठेकेदारों के लिए भर्ती योजना विकसित व लागू करना आवश्यक है।

भर्ती योजना, काम पर रखने और भर्ती की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगी जो:

- निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभाव से मुक्त होगी
- आवश्यक नौकरियों की संख्या का वर्णन करेगी और प्रत्येक भूमिका के लिए स्पष्ट एवं निष्पक्ष मानदंडों का वर्णन करेगी
- स्थानीय श्रम आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रदान करेगी
- सुनिश्चित करेगी कि जो भी संबंधित परामर्श हों उनमें महिलाओं के साथ पर्याप्त परामर्श शामिल हो
- सुनिश्चित करेगी कि नौकरी के अवसर महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से सुलभ हों
- स्क्रीनिंग (आरंभिक छंटाई) और साक्षात्कार की प्रक्रिया को परिभाषित करेगी, जिसमें प्रासंगिक पृष्ठभूमि जांच और हर साक्षात्कार में कम-से-कम दो व्यक्तियों वाला चयन पैनल शामिल हैं
- जो भी कर्मी 18 वर्ष से कम (और 15 वर्ष से अधिक) आयु के हों उनके लिए सुरक्षा जोख़िम आकलन और स्वास्थ्य निगरानी आवश्यक करेगी
- आवेदकों के लिए निःशुल्क होगी और
- जहां समुदाय के बाहर से कर्मियों का आगम हो वहां सुरक्षा पर विचार करेगी।

बाहरी श्रम एजेंसियों के उपयोग को व्यावहारिकता की सीमा के अंदर अधिकतम संभव सीमित रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मियों से भर्ती शुल्क न लिए जाएं और वे कर्मियों के दस्तावेज़ अपने पास रोककर न रखें।

जहां संभव हो वहां भर्ती प्रक्रियाओं में आधिकारिक दस्तावेज़ों द्वारा सभी कर्मियों के जन्म दिनांकों का सत्यापन करने की आवश्यकता शामिल होगी।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि भर्ती योजना लागू है और व्यवस्थित ढंग से/संपूर्ण प्रणाली में लागू की गई है।

जहां श्रम प्रदाताओं या एजेंसियों का उपयोग किया गया है वहां उनकी भर्ती परिपाटियों की निगरानी करें। सुनिश्चित करें कि कर्मियों से शुल्क न लिए जाएं और कर्मियों के दस्तावेज़ रोककर न रखे जाएं।

समस्त कर्मी

भर्ती योजना से अवगत हों और भर्ती योजना देखने की मांग करें।

यदि आपको भर्ती के दौरान कर्मियों के साथ किसी प्रकार का GBVH होने की जानकारी हो तो शिकायत तंत्र के माध्यम से प्रबंधन को सूचित करें या चिंता जाहिर करें।

यदि आपको भर्ती के दौरान कर्मियों से भर्ती शुल्क वसूले जाने या उनके दस्तावेज़ रोककर रखे जाने की जानकारी हो तो शिकायत तंत्र के माध्यम से प्रबंधन को सूचित करें या चिंता जाहिर करें।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक और HSES 003-011 PIDG लैंगिक समानता मानक।

04 रोज़गार के नियम व शर्तें

सभी कर्मियों के पास रोज़गार के नियम व शर्तें दस्तावेज़ी रूप में हैं, जो उनके कार्यस्थलीय अधिकारों को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझाती हैं और जो सभी राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करती हैं।

आवश्यकता

सभी कर्मियों (अस्थायी कर्मी शामिल) और ठेकेदारों को रोज़गार के ऐसे लिखित नियम व शर्तें प्रदान की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय कानून और कंपनी मानकों का अनुपालन करती हों।

रोज़गार के नियमों और शर्तों में निम्नलिखित निर्दिष्ट होने चाहिए:

- रोज़गार की अवधि
- वेतन और पारितोषिक जो राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हों और स्थान/क्षेत्र (सेक्टर) के अनुसार उपयुक्त हों
- वेतन की विधि और बारंबारता
- कार्य के घंटे, जो अत्यधिक न हों
- ओवरटाइम व्यवस्थाएं, जिनमें ओवरटाइम की स्थितियां/शर्तें, क्षतिपूर्ति और अधिकतम सीमाएं शामिल हैं जो अत्यधिक न हों
- अवकाश पात्रताएं, जिनमें मातृत्व/पितृत्व अवकाश शामिल हैं
- जो भी कंपनी लाभ हों वे
- अनुशासनात्मक कार्यविधियां और रोज़गार का समापन, तथा
- मानव संसाधन नीतियों का और - जहां लागू हो वहां - सामूहिक करारों का संदर्भ।

रोज़गार के नियम और शर्तें कर्मी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होने चाहिए और उन्हें कर्मी को मौखिक रूप से समझाया जाना चाहिए।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि सभी कर्मियों (अस्थायी कर्मी शामिल) और ठेकेदारों को रोज़गार के लिखित नियम व शर्तें प्रदान की गई है और वे रोज़गार के अपने नियमों व शर्तों को समझते है।

समस्त कर्मी

अपने रोज़गार के नियमों व शर्तों को समझें और अपने अधिकारों को जानें।

यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक से पूछें।

यदि आप आपके रोज़गार के किसी नियम, जिसमें आपको मिलने वाली राशि और उसके भुगतान का समय, आपके कार्य घंटे और कोई भी ओवरटाइम व्यवस्थाएं शामिल हैं, या अन्य किसी कार्य-संबंधी मामले को लेकर संशय में हों या उससे असंतुष्ट हों, तो अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक से उसकी चर्चा करें या शिकायत तंत्र का उपयोग करते हुए मुद्दा उठाएं।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक और HSES 003-011 PIDG लैंगिक समानता मानक।

05 प्रशिक्षण व संचार

समस्त कर्मियों और ठेकेदारों को सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी आवश्यकताओं, अपने अधिकारों, उनसे अपेक्षित व्यवहार, और चिंताओं या शिकायतों की सूचना देने के तरीके को समझने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी।

आवश्यकता

समस्त कर्मियों और ठेकेदारों को कार्य आरंभ से पहले एक प्रवेशण (इंडक्शन) प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें न्यूनतम रूप से निम्नलिखित कवर होगा:

- कंपनियों की HSES नीतियां
- परियोजना सुरक्षा आचार संहिता और संहिता के अतिक्रमण के दुष्परिणाम
- वह सामान्य और कार्य-विशिष्ट स्वास्थ्य व सुरक्षा जानकारी जो कार्यों को सुरक्षित ढंग से करने के लिए आवश्यक है, इसमें PIDG के मूल जीवन-रक्षक नियम या समतुल्य शामिल हैं।
- रोज़गार के सामान्य नियम, अनुशासनात्मक कार्यविधियां और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कर्मियों के अधिकार
- बाल श्रम और आधुनिक दासता
- शून्य-भेदभाव, लैंगिक समानता, दादागीरी, GBVH के विरुद्ध संरक्षण
- मेज़बान समुदायों में आवश्यक कानून-सम्मत आचरण और अनुपालन नहीं करने के दुष्परिणाम
- स्थानीय समुदायों के साथ व्यवहार के संबंध में सांस्कृतिक संवेदीकरण और
- परियोजना विशिष्ट शिकायत तंत्र का उपयोग।

जहां किसी परियोजना में विशिष्ट सुरक्षा जोख़िमों की पहचान हुई हो वहां, प्रबंधन दलों को जोख़िम पहचान, न्यूनीकरण और चिंताओं व शिकायतों की रिपोर्टिंग की जागरुकता के प्रसार के लिए केंद्रित प्रशिक्षण लागू करना चाहिए।

सभी परियोजनाओं को कर्मियों के अधिकारों का सम्मान करने और सभी कार्य-संबंधी स्थलों पर एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सूचित करना चाहिए।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि सभी कर्मियों और ठेकेदारों को प्रवेशण (इंडक्शन) प्रशिक्षण मिले।

अपनी परियोजना के सुरक्षा जोख़िमों को समझें और पहचाने गए जोख़िम के प्रकार और स्तर के अनुसार सहयोग के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करें।

समझने में आसान जानकारी (जैसे पोस्टर) प्रदान करें जिसमें परियोजना की, कर्मियों के अधिकारों का सम्मान करने और एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने की प्रतिबद्धता के बारे में बताया गया है।

सुनिश्चित करें कि GBVH शिकायतों को संभालने की ज़िम्मेदारी वाले व्यक्तियों को वह प्रशिक्षण मिला हो जो उन्हें शिकायतों को ज़िम्मेदारी से और शिकायतकर्ताओं के लिए जोख़िम पैदा किए बिना संभालने के लिए चाहिए है।

समस्त कर्मी

सुनिश्चित करें कि आपने प्रवेशण (इंडक्शन) प्रशिक्षण में भाग लिया हो और यह कि आप उसमें कवर की गई समस्त सामग्री को समझ गए हों, इसमें कार्य घंटों के दौरान और उनके बाहर अपेक्षित व्यवहार शामिल है।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक, HSES 003-011 PIDG लैंगिक समानता मानक।

06 कार्य परिवेश

सभी कार्य स्थल एवं कार्य-संबंधी आवास व्यवस्थाएं सुरक्षित हैं, स्वच्छ हैं और कर्मियों के कुशलक्षेम का ध्यान रखती हैं।

आवश्यकता

सभी कंपनियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण कार्यस्थल प्रदान करना होगा।

कार्यस्थल की डिज़ाइन में कर्मियों के कुशलक्षेम का ध्यान रखा जाना चाहिए। महिला व पुरुष कर्मियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखें, इसमें कार्यस्थल में महिलाओं और पुरुषों के वितरण का ढंग, प्रकाश व्यवस्था और मुक्त पहुंच/सुगमता शामिल हैं।

सभी कर्मियों को वे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE) मिलने चाहिए जो उन्हें उनका कार्य सुरक्षित ढंग से करने के लिए चाहिए, और उन्हें उनके सही उपयोग का प्रशिक्षण मिला होना चाहिए। समस्त PPE लिंग के अनुसार उपयुक्त होने चाहिए।

पुरुष और महिला कर्मियों, दोनों के लिए पर्याप्त और आसान पहुंच वाले शौचालय एवं प्रसाधन कक्ष सुविधाएं अलग-अलग प्रदान की जानी चाहिए, और उनमें निजता के उद्देश्य से बंद किए जा सकने वाले दरवाज़े होने चाहिए।

यदि कर्मियों को आवास व्यवस्था प्रदान की गई हो तो उसे सुरक्षित व स्वच्छ होना चाहिए, उसमें एकल-लिंग आवास व्यवस्थाएं और स्नानघर सुविधाएं होनी चाहिए, और उसमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उसकी डिज़ाइन में पर्याप्त सुरक्षा के समर्थन के लिए पर्याप्त संख्या में लाइटें, दरवाज़े और ताले हों।

कार्यस्थल पर और कर्मियों की आवास व्यवस्था में पेयजल निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।

यदि परिवहन प्रदान किया गया हो तो उसे सुरक्षित होना चाहिए, और उसके संचालन एवं प्रदायगी में GBVH की संभावनाएं न्यूनतम की जानी चाहिए।

सभी परियोजनाओं को प्रत्येक कार्यस्थल पर एक GBVH जोख़िम आकलन संचालित करना होगा, जिसे कार्य के हर चरण में अपडेट किया जाना होगा।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि कार्यस्थलीय आवश्यकताएं संतुष्ट की गई है।

सुरक्षित और सम्मानपूर्ण कार्यस्थल की प्रदायगी को सुगम बनाएं।

समस्त कर्मी

अपने कार्यस्थल का सम्मान करें और अपने साथी कर्मियों के लिए उसे सुरक्षित व सुखद बनाने में सहायता करें।

जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं और अपने सहकर्मियों को आप जिस ढंग से संबोधित करते हैं उसमें सावधानी बरतें।

ऐसी कोई भी वस्तु कार्यस्थल पर लेकर न आएं या ऐसे किसी भी प्रकार के पोस्टर या स्क्रीन सेवर का उपयोग न करें जिसके अपमानजनक/आपत्तिजनक होने की संभावना हो।

सतर्क रहें। यदि आप कोई खराब स्वास्थ्य व सुरक्षा परिपाटी देखें या आपको कोई गलत काम किए जाने का संदेह हो तो अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक से उसकी चर्चा करें या शिकायत तंत्र का उपयोग करके उसकी सूचना दें।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक, HSES 003-011 PIDG लैंगिक समानता मानक।

07 संघ बनाने की स्वतंत्रता

सभी कर्मी, ठेकेदार और प्राथमिक आपूर्तिकर्ता, नकारात्मक परिणामों के बिना, ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ बनाने या उससे जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

आवश्यकता

प्रत्येक कर्मी, ठेकेदार और प्राथमिक आपूर्तिकर्ता के, अपनी पसंद के संगठन बनाने या उनसे जुड़ने के अधिकार का, राष्ट्रीय कानून की अनुरूपता में, सम्मान किया जाना चाहिए।

ट्रेड यूनियन गतिविधियों में संलग्न होने वाले कर्मियों पर इन गतिविधियों के आधार पर प्रतिशोधी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उनसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

जहां राष्ट्रीय कानून में सामूहिक मोलभाव का प्रावधान किया गया हो वहां, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। जहां सामूहिक करार लागू हों वहां उनका अनुपालन किया जाना चाहिए।

कर्मी प्रतिनिधियों को कार्यस्थल की पहुंच प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने-अपने कार्य कर सकें।

प्रबंधन

प्रबंधन और कर्मियों तथा उनके प्रतिनिधियों (जहां वे उपस्थित हों वहां) के बीच नियमित और मुक्त संवाद के लिए स्पष्ट संरचनाएं स्थापित करें।

यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि कर्मी-प्रबंधन संवाद में सभी की बातें सुनी जाए, इसमें महिलाओं, प्रवासी कर्मियों और अन्य दुर्बल समूहों की बातें शामिल हैं।

राष्ट्रीय कानून के अनुसार कर्मियों के संगठनों के साथ संलग्न हों और उन्हें अर्थपूर्ण मोलभाव/समझौता वार्ताओं हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

कर्मियों (जिनमें महिलाओं के समूह, प्रवासी कर्मी और अन्य दुर्बल समूह शामिल हैं) को प्रबंधन की उपस्थिति के बिना मुक्त रूप से मिलने की अनुमति दें।

ट्रेड यूनियन या कर्मी प्रतिनिधि निकायों की गतिविधियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की कोशिश न करें।

ट्रेड यूनियन की सदस्यता या गतिविधि के आधार पर कर्मियों से भेदभाव न करें।

समस्त कर्मी

कर्मी संगठनों से संबंधित अपने अधिकारों को समझें और अन्य कर्मियों के साथ उन पर चर्चा करें। यह पहचानें कि क्या आपके कार्यस्थल में कोई ट्रेड यूनियन या श्रमिक प्रतिनिध हैं, और क्या ऐसा कोई सामूहिक करार है जो आप पर लागू होता है।

संबंधित मानक: HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक

08 सुरक्षा प्रबंधन

किसी भी सुरक्षा प्रावधान के लिए एक सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की जाती है और उसमें कार्यबल तथा मेज़बान समुदायों के लिए मौजूद मानवाधिकार जोख़िमों का ध्यान रखा जाता है।

आवश्यकता

कर्मियों और मेज़बान समुदायों के संबंध में निजी व सार्वजनिक सुरक्षा बलों द्वारा प्रस्तुत संभावित मानवाधिकार जोख़िमों को विचार में लेने के लिए परियोजना से संबंधित सुरक्षा सेवाओं और गतिविधियों का आकलन किया जाना चाहिए। नियोजित निजी व सार्वजनिक सुरक्षा संचालनों को और संभावित सुरक्षा खतरों की दशा में सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की ओर से संभावित प्रतिक्रियाओं को विचार में लिया जाना चाहिए।

अनुबंधित निजी सुरक्षा सेवाओं के लिए यह आवश्यक किया जाना चाहिए कि वे अपने कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करें और बल प्रयोग, तलाशी एवं अन्य उच्च-जोख़िम गतिविधियों आदि मुद्दों के संबंध में उपयुक्त प्रोटोकॉल लागू करें।

सुरक्षा आकलनों में महिलाओं पर और, कंपनी के भीतर की तथा परियोजना के समुदायों के भीतर की महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा सेवाओं की ओर से GBVH के जोख़िमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के स्वैच्छिक सिद्धांतों (वॉलंटरी प्रिंसिपल्स ऑन सिक्यॉरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, VPSHR)[3] की अनुरूपता में एक सुरक्षा प्रबंधन योजना विकसित की जानी चाहिए।

3 सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के स्वैच्छिक सिद्धांत https://www.voluntaryprinciples.org/

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि एक ऐसी सुरक्षा प्रबंधन योजना लागू हो जो VPSHR को संतुष्ट करती है।

सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षा कार्मिकों को परियोजना सुरक्षा आचार संहिता पर और सुरक्षा आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण मिला हो, विशेष रूप से GBVH से संबंधित सुरक्षा आवश्यकताओं पर।

सुनिश्चित करें कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में समुदायों को सूचित किया जाए।

समस्त कर्मी

सुरक्षा सेवाओं की भूमिका परियोजना और कार्यबल को उनकी सुरक्षा व कुशलक्षेम से संबंधित खतरों के विरुद्ध संरक्षण देने की है।

सुरक्षा सेवाएं आपको सुरक्षित बनाने के लिए मौजूद है। यदि आप किसी सुरक्षा प्रदाता की ओर से किसी भी प्रकार के खतरे या धमकाए जाने का अनुभव करें, या दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार होता देखें, तो तुरंत शिकायत तंत्र का उपयोग करते हुए उसकी सूचना दें।

स्वयं को अपने कार्यस्थल (और आवास व्यवस्था) से तथा प्रवेश व निकास द्वारों से परिचित कराएं। अकेले कार्य या यात्रा न करें। अपने सहकर्मियों की सुरक्षा के प्रबंधन में भी उनका सहयोग करें।

संबंधित HSES मानक: HSES सुरक्षा नीति, HSES 003-010 PIDG स्थानीय रोज़गार एवं श्रम प्रबंधन मानक।

09 समुदाय से व्यवहार और हितधारक संलग्नता

सभी कर्मियों और ठेकेदारों से यह अपेक्षित है कि वे स्थानीय समुदायों के लोगों के अधिकारों, गरिमा और कुशलक्षेम का सम्मान करें, जैसा परियोजना सुरक्षा आचार संहिता में वर्णित है। परियोजना से संबंधित समस्त हितधारक संलग्नताओं का नियंत्रण एक पारदर्शी हितधारक संलग्नता योजना के माध्यम से किया जाता है जो समस्त संलग्नता गतिविधियों के संचालन, उनकी प्रक्रियाओं और उनकी रिपोर्टिंग को परिभाषित करती है।

आवश्यकता

समुदायों के साथ समस्त व्यवहार इस प्रकार से किए जाने चाहिए जो उनके अधिकारों, गरिमा और कुशलक्षेम को सम्मान देता हो, और साथ में देशज या पारंपरिक समुदायों व अन्य दुर्बल समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों और नृजातीय अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

समस्त सामुदायिक संलग्नताओं का नियंत्रण हितधारक संलग्नता योजना के माध्यम से किया जाना चाहिए जो संलग्नता के संचालन व उसकी प्रक्रियाओं को और समस्त संलग्नता गतिविधियों की रिपोर्टिंग को परिभाषित करती है। मेज़बान समुदायों के साथ की जाने वाली समस्त बैठकों का संचालन न्यूनतम 2 परियोजना प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए (महिलाओं के साथ की जाने वाली बैठकों में, कम-से-कम एक प्रतिनिधि महिला होनी चाहिए)।

हितधारक परामर्श और संलग्नता में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। मेज़बान समुदायों के संबंध में लिए गए समस्त परियोजना निर्णयों पर कम-से-कम दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुमोदन होना चाहिए, इसमें ऐसे निर्णय शामिल हैं जो भर्ती, आजीविका और दोबारा बसाने, सामुदायिक कार्यक्रमों और किन्हीं भी अन्य परियोजना संबंधी मामलों के लिए प्रासंगिक हैं। इन निर्णयों में लैंगिक विचारों को शामिल और दस्तावेज़ीकृत किया जाना चाहिए।

कर्मियों को परियोजना सुरक्षा आचार संहिता का हमेशा अनुपालन करना चाहिए, विशेष रूप से GBVH के संबंध में, और उन्हें स्थानीय सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान करना चाहिए। कर्मियों को वेश्यावृत्ति या किसी भी प्रकार के लेनदेन वाले यौन संबंधों में संलग्न नहीं होना चाहिए, तब भी नहीं जब राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति देता हो। कर्मियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि में संलग्न नहीं होना चाहिए (पहले से मौजूद विवाहों को छोड़कर)।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि हितधारक संलग्नता योजना लागू है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा हो तथा नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

सुनिश्चित करें कि कर्मी, कार्य घंटों के अंदर और उनके बाहर, समुदाय से व्यवहारों के संबंध में उनसे अपेक्षित व्यवहार से अवगत है।

स्थानीय समुदायों द्वारा जाहिर की गईं परियोजना संबंधी चिंताओं को शीघ्रता से सुनें और हल करें। संचार माध्यम और शिकायत तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों (स्थानीय महिला समूह शामिल) से नियमित फ़ीडबैक एकत्र करने के सुरक्षित तंत्र स्थापित करें।

समस्त कर्मी

मेज़बान समुदायों से सम्मान के साथ व्यवहार करें और स्थानीय सांस्कृतिक रीतियों/मानदंडों के प्रति सजग रहें। हमेशा परियोजना सुरक्षा आचार संहिता के अनुसार कार्य करें, और ऐसे व्यवहार में संलग्न न हों जो कंपनी की बदनामी कर सकता हो। कार्य घंटों के दौरान और उनके बाहर आपसे जो व्यवहार अपेक्षित है उसे समझें और यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो अपने लाइन प्रबंधक से पूछें।

यदि आप कर्मियों या सुरक्षा प्रदाताओं द्वारा कोई अनुपयुक्त व्यवहार किए जाने के बारे में सुनें या ऐसा व्यवहार देखें, तो अपने लाइन प्रबंधक से बात करें या शिकायत तंत्र का उपयोग करके उसकी सूचना दें। परियोजना संबंधी किसी भी कार्य के लिए, प्रबंधन से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त किए बिना, समुदाय के सदस्यों से मुलाकात न करें।

संबंधित HSES मानक: PIDG HSES-003-008-PIDG हितधारक संलग्नता मानक।

10 शिकायत तंत्र

समस्त कर्मियों, ठेकेदारों और मेज़बान समुदायों के पास ऐसे निष्पक्ष, पारदर्शी और गोपनीय शिकायत तंत्र मार्गों की पहुंच है जो चिंताओं पर शीघ्रता से ध्यान देते हैं और जो दुर्बल समूहों, जिनमें महिलाएं व लड़कियां शामिल हैं, की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं।

आवश्यकता

समस्त कर्मियों और ठेकेदारों के पास एक दस्तावेज़ीकृत, स्पष्ट और पारदर्शी कर्मी शिकायत तंत्र की तैयार पहुंच होनी चाहिए।

परियोजनाओं के समस्त मेज़बान समुदायों के पास एक दस्तावेज़ीकृत, स्पष्ट और पारदर्शी समुदाय शिकायत तंत्र की तैयार पहुंच होनी चाहिए।

परियोजना के आरंभ से ही शिकायत तंत्र लागू होने चाहिए और सभी कर्मियों व समुदायों को उनकी स्पष्ट सूचना दी जानी चाहिए। उनमें चिंताएं व शिकायतें प्राप्त व हल करने की प्रक्रिया का, और उत्तरों/प्रतिक्रियाओं की समय-सीमाओं का वर्णन होना चाहिए। इनमें एक उपयुक्त स्तर के प्रबंधन को शामिल किया गया होना चाहिए।

गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए, और बेनामी ढंग से शिकायतें दर्ज़ कराना संभव होना चाहिए। शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, और साथ में उन्हें प्रतिशोधी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।

समस्त कर्मियों और मेज़बान समुदायों को शिकायत तंत्र के उपयोग के तरीके का प्रशिक्षण मिलना चाहिए।

शिकायत तंत्र का आकार, जोख़िम के स्तर के अनुपात में होना चाहिए, उसमें GBVH, आधुनिक दासता या बाल श्रम की किसी भी ज्ञात या संदिग्ध घटना पर ध्यान देने के उपाय शामिल होने चाहिए, और पीड़ितों को उसकी ओर से, जहां उपलब्ध हों वहां, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGO) या सेवा प्रदाताओं से जुड़ाव प्राप्त होना चाहिए। ऐसी जो भी घटनाएं हों उन्हें गंभीर घटनाओं के रूप में PIDG ग्रुप के पास भेजा जाना चाहिए और उन पर तदनुसार प्रतिक्रिया दी जाएगी। किसी भी पड़ताल से पहले मुख्य रूप से उस किसी भी व्यक्ति के कुशलक्षेम की सुरक्षा की आवश्यकता का ध्यान रखा जाना चाहिए जो GBVH, आधुनिक दासता या बाल श्रम का शिकार हुआ हो सकता है।

प्रबंधन

सुनिश्चित करें कि कर्मी और समुदाय शिकायत तंत्र से अवगत हों और यह कि वह सारे समय आसान पहुंच में रहे।

समझें कि कंपनी में किस पर शिकायतें प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी है और उन शिकायतों को कैसे व कब PIDG को भेजा जाता है।

सुनिश्चित करें कि सभी शिकायतों का एक लिखित रिकॉर्ड है।

सुनिश्चित करें कि सभी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जाए और व्यक्तिगत विवरण गोपनीय रखे जाएं।

सुनिश्चित करें कि कर्मियों के पास अपनी शिकायतें ऐसे व्यक्तियों के पास दर्ज़ कराने के विकल्प है जो उनके लाइन प्रबंधक नहीं हैं, और उनके पास पुरुष या महिला संपर्क बिंदु चुनने के विकल्प भी है।

समस्त कर्मी

यदि आपको कार्य या कार्य से संबंधित व्यक्तियों के बारे में कोई चिंता हो, तो शिकायत तंत्र का उपयोग करें।. आपकी बेनामियत और/या गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा, और वास्तविक चिंताएं जाहिर करने के बदले में कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे।

अपनी आवाज़ उठाने के द्वारा, आप न केवल अपनी बल्कि अपने आस-पास के दूसरे लोगों की भी सुरक्षा कर रहे हैं।

संबंधित HSES मानक: PIDG HSES-003-009 शिकायत तंत्र मानक

www.pidg.org